

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-146/2025 दिनांक 26.05.2025)
***दिनांक-26.05.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

कूट रचित सरकारी दस्तावेजों और मुहरों का उपयोग कर भोले-भाले ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी एवं अवैध वसूली करने वाले अन्तर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश, 16 अदद कूट रचित सरकारी /गैर सरकारी मुहरें, 35 अदद कूट रचित व स्वहस्ताक्षरित व मूल मोहर युक्त सरकारी प्रपत्र एवं अवैध वसूली से अर्जित नगद 15,100/- रुपया इत्यादि के साथ सरगना सहित कुल चार शातिर अपराधी गिरफ्तार

जनपद कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के आधार पर, कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से गांवों में घूम-घूमकर मकान नंबर की प्लेट लगाने के नाम पर भोले-भाले ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और टेंडरों का लालच देकर ठगी करने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा थाना नेबुआ नौरंगिया पर मु0अ0सं0 196/2025 धारा 318(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/339 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया गया। घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के नेतृत्व में विभिन्न टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में दिनांक 25.05.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया, साइबर सेल तथा स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा जनपद कुशीनगर में सक्रिय एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कूट रचित सरकारी दस्तावेजों और मुहरों का उपयोग कर भोले-भाले ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी कर रहे थे। यह गिरोह जनपद कुशीनगर के विभिन्न ब्लॉकों, गांवों व टोलों में जाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। अभियुक्तगणों के पास से अवैध कूट रचित सरकारी दस्तावेज, मुहरें, फर्जी कूटरचित प्रिन्टेड उत्तर प्रदेश पंचायती राज के मकान नम्बर टीन की प्लेट और अवैध वसूली से प्राप्त नकदी बरामद की गई है। गिरोह का मुख्य सरगना 1.जितेन्द्र कुमार मौर्या पुत्र लालबुना सिंह ग्राम कुकूडाढ़ थाना सोनहन जिला कैमूर (भभूआ) बिहार सहित अन्य 2. रामभूषण सिंह उर्फ भण्डारी पुत्र रामेश्वर सिंह ग्राम अजगरा थाना कुदरा जिला कैमूर (भभूआ) बिहार 3.



मदन पाल पुत्र नरेश पाल ग्राम महदेवा थाना दरिगांव जिला रोहतास बिहार 4. रम्भू सिंह पुत्र मधुसूदन सिंह ग्राम गम्हरिया थाना काराकाट (गोड़ारी) जिला रोहतास बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 111(3) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका:-

अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना जितेंद्र मौर्या (भभुआ, कैमूर, बिहार) है, अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद कुशीनगर के गांवों में सरकारी योजनाओं का लालच देकर भोले-भाले ग्रामीणों को ठगते हैं। गिरोह के पास कूटरचित सरकारी दस्तावेज और मोहरें हैं, जिनका उपयोग वे विश्वास जीतने के लिए करते हैं। यह गिरोह फर्जी पंचायती राज मकान नंबर प्लेट चस्पा कर, प्रति मकान 50 रुपये की अवैध वसूली कर लाखों रुपये का अवैध धन अर्जित करते हैं। यह एक ट्रिप में लगभग 1000 मकानों को निशाना बनाते हैं और फिर स्थान बदलकर फरार हो जाते हैं। यह गिरोह जनपद महाराजगंज, गोरखपुर और अन्य जनपदों में भी सक्रिय है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 196/2025 धारा

318(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/339 बीएनएस बढोत्तरी धारा 111(3) बीएनएस थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-जितेन्द्र कुमार मौर्या पुत्र लालबुना सिंह ग्राम कुकूडाढ़ थाना सोनहन जिला कैमूर (भभूआ) बिहार

2-रामभूषण सिंह उर्फ भण्डारी पुत्र रामेश्वर सिंह ग्राम अजगरा थाना कुदरा जिला कैमूर (भभूआ) बिहार

3-मदन पाल पुत्र नरेश पाल ग्राम महदेवा थाना दरिगांव जिला रोहतास बिहार

4-रम्भू सिंह पुत्र मधुसूदन सिंह ग्राम गम्हरिया थाना काराकाट (गोड़ारी) जिला रोहतास बिहार

बरामदगी का विवरण-

1. अवैध रूप से अर्जित कुल नगद 15100/- रुपये 2. 16 अदद कूट रचित सरकारी /गैर सरकारी मुहरें 3. 35 अदद कूट रचित व स्वहस्ताक्षरित व मूल मोहर युक्त सरकारी प्रपत्र के रूप में दर्शाने हेतु फर्जी दस्तावेज



4. अवैध वसूली के रूप में अवैध धन अर्जित करने हेतु अभिलेखीय रसीद बुकलेट कुल 27 अदद
5. फर्जी कूटरचित प्रिन्टेड उत्तर प्रदेश पंचायती राज के मकान नम्बर टीन की प्लेट कुल 1540 अदद
6. 37 अदद निर्वाचन लिस्ट
7. अपराध में प्रयुक्त 04 अदद मोबाईल फोन
8. अपराध में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल नं0. BR 45 N 5825

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-निरीक्षक श्री मनोज कुमार पन्त थाना साइबर सेल जनपद कुशीनगर मय टीम
- 2-निरीक्षक श्री आशुतोष कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद कुशीनगर मय टीम
- 3-थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह थाना नेबुआ नौरंगिया नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 4-उ0नि0 आलोक यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 5-उ0नि0 श्रवण कुमार यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 6-उ0नि0 संदीप कुमार यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 7-उ0नि0 विकाश मौर्या थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 8-हे0कां0 विजय कुमार चौधरी साइबर सेल जनपद कुशीनगर
- 9-कां0 अखिलेश गुप्ता साइबर सेल जनपद कुशीनगर
- 10-का0 दीपक यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 11-का0 आशीष सरोज थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 12-का0 हिमांशु सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा मु0नं0 499/2023 धारा 138-बी विद्युत अधिनियम से संबंधित वारण्टी असलम पुत्र छेदी मियां सा0 मंशाछापर थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 499/2023 धारा 138-बी विद्युत अधिनियम



Edit with WPS Office

गिरफ्तार अभियुक्त-

असलम पुत्र छेदी मियां सा0 मंशाछापर थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 प्रियांशु राय थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
3. का0 राजू कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा मु0नं0 8734/2024 धारा 498A,323,504,506 भा0दं0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित 01 नफर वारंटी हृदया गुप्ता पुत्र हरिशंकर गुप्ता साकिन राजपुर खास थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 8734/2024 धारा 498A,323,504,506 भा0दं0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट.थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

हृदया गुप्ता पुत्र हरिशंकर गुप्ता साकिन राजपुर खास थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

- 1-थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0श्री आकाश सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 3-का0 संजय यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को मु0नं0 564/24 धारा 147,323,504,506,427 भादवि से संबंधित



वारण्टीगण 1. हरिहर पुत्र रामायन सा0 बरवा बभनौली थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर व 2. भृगुन पुत्र रामायन सा0 बरवाबभनौली थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 564/24 धारा 147,323,504,506,427 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. हरिहर पुत्र रामायन सा0 बरवा बभनौली थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2. भृगुन पुत्र रामायन सा0 बरवाबभनौली थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्र0नि0 राजू सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 विजयशंकर यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
3. का0 श्यामसुन्दर यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
4. का0 सुर्यप्रताप सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 51 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-98 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-86, व्यक्ति-261
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(08)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-59)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

